महत्वपूर्ण एवं खास

कोरोना वायरस से सुरक्षा हेतु जिला न्यायालय में 31 मार्च तक तक प्रकरणों की सुनवाई रहेगी स्थगित

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोरोना वायरस के रोकथाम व बचाव के संबंध में उच्च न्यायालय से जारी अधिसूचना के अनुसार जिला न्यायालय रायगढ़ में 31 मार्च 2020 तक नियत प्रकरणों की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ द्वारा समस्त अधिवक्ताओं, पक्षकारों एवं गवाहों को सूचित किया जाता है कि प्रकरणों की सुनवाई प्रारंभ करने हेतु तिथि के संबंध में पृथक से सूचना प्रकाशित की जाएगी।

कोरोना वायरस हेतु जिला सर्वेलेंस इकाई गठित

न्याय साक्षी/रायगढ़। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ द्वारा कोरोना विषाणु के सम्भावित मरीज या कोरोना वायरस से प्रभावित क्षेत्र की यात्रा करने वाले व्यक्ति की सूचना देने तथा अन्य जानकारियों के लिए जिला सर्वेलेंस इकाई का गठन किया गया है। हेल्पलाईन नंबर 07762-220288 या टोल फ्री नंबर 104, जिला सर्वेलेंस ईकाई रायगढ़-9424194328, 7000619201, 9406267203 तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय रायगढ़ के दूरभाष क्रमांक 07762-232668 में सूचना दिया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आवासीय भवनों में भारी छूट

» कीमतों में 31 मार्च तक 15 से 20 प्रतिशत छूट का मिलेगा लाभ

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रायगढ़ एवं जशपुर जिले में भवनों का निर्माण कर आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया गया है। उक्त कॉलोनियों में कुछ भवन रिक्त है। रिक्त भवनों का प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर विक्रय किया जा रहा है। वर्तमान में शासन द्वारा भवनों के मूल्य में 15 से 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है जिसकी अवधि 31 मार्च 2020 तक है। रिक्तभवन रायगढ़ जिले में रायगढ़ शहर, पुसौर, धरमजयगढ़, खरसिया तथा जशपुर जिले में जशपुर शहर, कुनकुरी एवं बगीचा में उपलब्ध है। छूट की अवधि मार्च 2020 तक है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल रायगढ़ के संपदा अधिकारी ने समस्त जिलेवासियों को भवनों में छूट का लाभ लेने हेतु आग्रह किया है एवं इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करने हेतु कहा है।

कोरोना वायरस से सुरक्षा हेतु जिला न्यायालय में 31 मार्च तक तक प्रकरणों की सुनवाई रहेगी स्थगित

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोरोना वायरस के रोकथाम व बचाव के संबंध में उच्च न्यायालय से जारी अधिसूचना के अनुसार जिला न्यायालय रायगढ़ में 31 मार्च 2020 तक नियत प्रकरणों की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ द्वारा समस्त अधिवक्ताओं, पक्षकारों एवं गवाहों को सूचित किया जाता है कि प्रकरणों की सुनवाई प्रारंभ करने हेतु तिथि के संबंध में पृथक से सूचना प्रकाशित की जाएगी।

कोषालय एवं उपकोषालयों के भण्डार में स्थित निष्प्रयोज्य सामानों की नीलामी हेतु निविदा 25 मार्च तक आमंत्रित

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला वरिष्ठ कोषालय अधिकारी कार्यालय, रायगढ़ अंतर्गत जिला कोषालय रायगढ़ एवं उपकोषालय खरसिया, धरमजयगढ़, घरघोड़ा एवं सारंगढ़ के भण्डार में स्थित निष्प्रयोज्य सामानों की नीलामी हेतु निविदा 25 मार्च 2020 को अपरान्ह 3 बजे से तक आमंत्रित किया गया है। इस संबंध में नियम, शर्तें एवं अन्य विस्तृत जानकारी वरिष्ठ कोषालय रायगढ़, संबंधित उपकोषालय अधिकारी अथवा भण्डार प्रभारी से संपर्क कर सकते है।

आखिरकार न्यायालय ने सुनी पुकार, न्याय की बंधी आस - लच्छीराम उरांव

» अनुसूचित जनजाति आयोग के संज्ञान पर भी नहीं हुई थीं कार्यवाही » अब अनुविभागीय दण्डाधिकारी कर रहे हैं जॉच

» पीड़ित परिवार ने सामाजिक न्याय संघ को दिया धन्यवाद्

» जूटमिल पुलिस के अधिकारी भी हैं प्रकरण में शामिल

न्याय साक्षी/रायगढ़। सामाजिक न्याय संघ जो कि शासन से मान्यता प्राप्त संस्था है, और जो परेशान बेसहारा को न्याय दिलाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार कार्य कर रही है, को दिए अपने आवेदन में लच्छीराम उरांव पिता स्व. श्री पनतराम उरांव, निवासी ग्राम - केनापाली, ने बताया था कि, वो अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, और उनके भाई के दो पुत्र 1/ सनद कुमार, उम्र 33 वर्ष 2/ राजेश कुमार (हत्प्राण) एवं पुत्री ललिता उम्र 28 वर्ष हैं।

कहा कि, उनके भतीजे राजेश कुमार उरांव, उम्र - 26 वर्ष विगत तीन वर्ष से, श्यामलाल पटेल पिता केशव पटेल का पैरा काटने एवं ट्रैक्टर चलाने का कार्य करता था। बताया कि, उक्त श्यामलाल पटेल और टीकाराम पटेल के द्वारा राजेश के अलावा भी कुछ लोगों का अपने यहॉं काम पर रखा था, जिनके नाम कार्तिकराम उरॉव एवं प्रेमचंद यादव है।

रायगढ़ का सबसे हाई-प्रोफाईल मामला - क्या थीं घटना!

कहा कि, इसी तारतम्य में उनका पुत्र दिनॉक 4 जनवरी 2019 को श्यामलाल पटेल के आदेश पर तमनार क्षेत्र में पैरा काटने हेतु गया था, उसके साथ में कार्तिकराम उरांव एवं प्रेमचंद यादव भी गये थे। कहा कि, राजेश के पास मोबाईल है, जिससे वो हम लोगों से बात करता रहता था।

दिनॉक 19/01/2019 को राजेश का फोन शाम करीब 7.00 से 8.00 के बीच आया तो उसने मेरी बहु तीजमति से बात कर बताया कि वो वापस आ गया है, थोड़ी देर में घर वापस आ रहा है। रात्रि के 10 बजे तक हमने उसका रास्ता देखा, फिर फोन किया तो उसका फोन नेटवर्क कव्हरेज से बाहर बता रहा था। तत्पश्चात उसी दिनॉक 19 जनवरी 2019 को रात्रि लगभग 1 बजे मेरे पास अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन किया गया, और कहा गया कि क्या आप राजेश उरॉव को जानते हैं? हॉ कहने पर उसने बताया कि राजेश उरांव की मृत्यु हो गई है, रायगढ़ मुख्य अस्पताल आकर देख लें। उक्त खबर से हमारा पूरा परिवार परेशान हो गया, और परिवार वाले तत्काल अस्पताल पहुॅंचे।

विरोधी पक्ष ने आखिर क्यों नहीं दी कोई सूचना?

कहा कि, इस घटना के बारे में उक्त श्यामलाल पटेल (मालिक) व टीकाराम पटेल के द्वारा हमें कोई सूचना नहीं दी गई, ना ही हमसे कोई संपर्क किया गया। श्यामलाल पटेल द्वारा इस दुर्घटना के बारे में पूछ-ताछ करने पर टाल-मटोल किया गया एवं साक्ष्य को छिपाया गया, बीच में टीकाराम पटेल जो करना है, कर लो, करा लो, बोलता रहा।

जूटमिल पुलिस के विरुद्ध भी हो रही है जॉच!

कहा कि, पुलिस के द्वारा भी इस हत्या के प्रकरण में न्यायोचित जॉच नहीं की गई है, अतः पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को इस प्रकरण में संस्थित किया गया है। कहा कि, इस सम्बंध में हमारे द्वारा सामाजिक न्याय संघ की मदद से आवेदन मय शपथ-पत्र राज्यपाल महोदय, मानवाधिकार आयोग, भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री, उमेश पटेल जी, पुलिस महानिदेशक, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, राज्य महिला आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, श्रीमान् एस0पी0 महोदय, थाना प्रभारी, थाना जूटमिल, एवं थाना प्रभारी, थाना कोतवाली, को भेजा गया।

लड़के की संदेहास्पद मौत से पिता की भी हुई असामयिक मौत!

जवान पुत्र के गुजर जाने के सदमें से, पुत्र की अस्थि ले जाते समय, मेरे भाई तिलकराम उरांव को भी हार्ट अटैक आ गया। जिसके कारण दिनांक 22.01.2019 को उनका निधन हो गया। कहा कि, प्रथम दृष्टया यह द्वेषपूर्णहत्या का मामला है, और पूरा संदेह है, कि राजेश की मुॅंह-नाक दबाकर हत्या की है, और हत्या के साक्ष्य को छुपाया है।

दूसरे के ट्रेक्टर के कागज आखिर क्यों दिए गए?

कहा कि, राजेश कुमार उरांव, श्यामलाल पटेल के आयशर ट्रैक्टर को चलाता था, किन्तु श्यामलाल पटेल द्वारा दूसरे ट्रैक्टर का पेपर एवं नंम्बर थाने में जमा किया, जो कि पूर्णतः फर्जी है, जिससे पूरा संदेह है, कि राजेश की हत्या के साक्ष्य को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। कहा कि, मेरे द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दूसरे ट्रेक्टर के मालिक प्रशांत कुमार नायक को उक्त सम्बंध में विधिक सूचना-पत्र भिजवाया था, जिसका उसके द्वारा तय समय सीमा में कोई जवाब नहीं दिया गया, जिससे भी हत्या के अपराध के प्रमाणन् को बल मिलता है।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने पंजीकृत किया है मामला

माननीय न्यायालय ने मामले पर संज्ञान लेकर न्यायोचित जॉच वास्ते ग्राम कोटवार जीवनलाल चैहान, वार्ड ब्वाय बुधराम नेगेसिया एवं अन्य को न्यायालयीन कथन हेतु नोटिस जारी कर आहुत किया है, जिससे प्रकरण पर न्यायोचित जॉच व आदेश किए जाने की संभावना बलवती है।

अनुसूचित जनजाति आयोग ने लिया संज्ञान लेकिन नहीं हुई कोई कार्यवाही

कहा कि, भेजे गए आवेदन पर, अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा संज्ञान लिया जाकर श्रीमान् कलेक्टर महोदय को निर्देशित किया गया, जिसपर कलेक्टर महोदय ने श्रीमान् तहसीलदार महोदय को जॉच किए जाने के लिए निर्देशित किया गया, जिसपर तहसीलदार ने आर0आई0 को ग्राम में भेजा और जॉच पंचनामा कराया गया, लेकिन उसपर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः एक आवेदन अनुविभागीय दण्डाधिकारी के समक्ष संदेहास्पद मौत के सम्बंध में दिया गया, जिसपर संज्ञान लिया जाकर जॉच हो रही है।

आवेदन में प्रस्तावित आरोपीगण के विरुद्ध लगी हैं यें धाराएं!

120 ख, 193, 196, 197, 199, 202, 203, 204, 212, 213, 214, 218, 219, 220, 221, 222, भा.दं.सं. , अंतर्गत धारा 3, 3(2)(5) (भा.दं.सं. 1860 में 45 के अधीन), एवं धारा 4 लोक सेवक द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 घटना दिनॉंक 19/01/2019 से लगातार, घटना स्थल - ग्राम केनापाली, थाना जूटमिल रायगढ़, जिला रायगढ़, छ0ग0।

एटीएम तोड़फोड़ कर चोरी मामले में 7वें फरार आरोपी राजेश सोनी ने किया आत्म समर्पण

» आरोपी का कोतवाली पुलिस ने लिया पुलिस रिमांड

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोतवाली दिनांक 08.08.2019 की रात्रि अंतर्गत सर्किट हाउस चौक के पास कांप्लेक्स में लगे एटीएम सेंटर के एटीएम मशीन को उखाड़ कर लाखों रुपए की चोरी के मामले में फरार आरोपी राजेश सोनी पिता घासीराम सोनी उम्र 33 वर्ष सा. हमीरपुर थाना - तमनार द्वारा दिनांक 17.03.2020 को माननीय कोर्ट में सरेंडर किया। कोतवाली पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से आरोपी का एक दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया।

रिमांड में लेने के बाद आरोपी राजेश सोनी से पूछताछ करने पर बताया कि उसे वारदात के बाद बटवारे में रू. 1,30,000 मिला था जो फरार रहने के दौरान झारसुगुड़ा, भुवनेश्वर, बालेश्वर, मुंबई, चेन्नई आंध्रा, बेंगलुरु, तांबरम आदि कई जगह करीब 8 महीने तक घूमा जहां घूमने, खाने में सारे रुपए खर्च हो गए हैं। आरोपी ने अपने साथी नन्द कुमार साहू निवासी पडिगांव के साथ कुल 08 लोगों के द्वारा घटना को अंजाम देना बताया। इस मामले में कोतवाली पुलिस की कार्यवाही में इसके 06 साथियों को अब तक रिमांड पर भेजा जा चुका है जिस कारण इसने भी कोर्ट में आत्मसमर्पण करना उचित समझा और कोर्ट में आत्मसमर्पण किया।

आरोपी राजेश सोनी से चोरी की मशरूका बरामदगी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यवाही के लिए रिमांड लिया गया था। आरोपी के मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त एक सब्बल उसके घर से बरामद किया गया है। आरोपी को रिमांड अवधि पश्चात आज पुनः न्यायालय पेश किया गया है जिसके विरुद्ध धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत पृथक से चालान पेश किया जावेगा। मामले में केवल एक आरोपी फरार है जिसकी कोतवाली पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

कलेक्टर एवं एसपी ने ली उद्योग संचालकों की बैठक

» कोरोना प्रभावित देशों की यात्रा की जानकारी नहीं देने वालों पर जनहित में आईपीसी की धारा के तहत दर्ज होंगे मामले

» कलेक्टर श्री यशवंत कुमार कोरोना प्रभावित देशों की यात्रा की जानकारी नहीं देने वालों पर जनहित में आईपीसी की धारा के तहत दर्ज होंगे मामले-कलेक्टर श्री यशवंत कुमार

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोरोना वायरस के रोकथाम व बचाव की तैयारियों के मद्देनजर कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने जिले में संचालित समस्त उद्योगों के प्रतिनिधियों की बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में ली। पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह तथा अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा भी बैठक में शामिल रहे।

कलेक्टर श्री यशंवत कुमार ने समस्त उद्योग संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा कि हाल के दिनों में उद्योगों में कार्यरत यदि कोई कर्मचारी कोरोना प्रभावित देश की यात्रा से लौटा है तो तत्काल उसकी सूचना कलेक्टोरेट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय व थाने में दें। जानकारी नहीं देने और कोरोना के केस पाजीटिव मिलने पर ऐसे व्यक्ति व प्रबंधन के ऊपर जनहित में आईपीसी की धारा 269 व 270 के तहत मामला दर्ज कर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने उद्योग प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के ट्रेवल हिस्ट्री की पूरी जानकारी रखें तथा संदेहास्पद मामलों को तुरंत प्रशासन के संज्ञान में लाये। उन्होंने आगे कहा कि फैक्ट्रियों एवं प्लांट में 20 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर एकत्रित न हो। उद्योग के सभी कर्मचारियों को कोरोना के बारे में पूरी जानकारी देकर जागरूक करें। संक्रमण से रोकथाम के तरीके बताए व उसका पालन करें।

साबून से नियमित हाथ धोने की व्यवस्था करवायें, हाथ मिलाने तथा गले लगने से बचने की सलाह दें। 3 फीट से अधिक दूरी बनायें। किसी कर्मचारी में यदि कोरोना से संबंधित लक्षण दिखाई दे तो तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क कर टेस्ट व इलाज की व्यवस्था करवायें।

उन्होंने आगे कहा कि कोरोना के रोकथाम के लिए सभी को मिलकर गंभीरता से प्रयास करने होंगे तथा शुरूआती चरण में ही बचाव के अधिकतम प्रयास करने होंगे। पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह ने इस मौके पर कहा कि कोरोना से सबसे बुरा प्रभाव उद्योगों पर पड़ेगा।

जिसे जागरूकता फैलाकर व बचाव के तरीके अपनाकर रोका जा सकता है। प्राय देखा गया है कि उद्योगों में कार्यरत श्रमिक वर्ग स्वास्थ्य व हाइजिन को लेकर जागरूक व सजग नहीं रहते है, उन्हें भी जागरूक करते हुए बचाव के तरीकों को जीवन शैली में अपनाने हेतु प्रेरित करना होगा। इस मौके पर सीएचएमओ डॉ.एस.एन.केशरी ने कोरोना के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए प्रशासन के तैयारियों से उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए सहयोग की अपील की।

प्रबंधक नवदुर्गा फ्युल सराईपाली पर श्रमिक की सुरक्षा पर लापरवाही का मामला

पूंजीपथरा थाने में प्रबंधक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना पूंजीपथरा के मर्ग क्रमांक 01/19 धारा 174 जा0फौ0 के जांच में पाया गया कि श्रीमति कुन्ती नागेश पति भुनेश्वर नागेश उम्र 35 वर्ष निवासी बगडोल थाना बगीचा जिला जशपुर नवदुर्गा फैक्ट्री ग्राम सराईपाली में ठेकेदार मिथलेश सिंह के अधिन मजदूरी पर काम करती थी।

नवदुर्गा प्लांट का मालिक निमीष गडोदिया द्वारा प्लांट में विद्युत उत्पादन के बाद जले हुये कोयला के बचे गरम राख को टंकी में डंप कराकर पानी से ठण्डा कराकर जे0सी0बी0 से निकलवाता था परंतु अत्यधिक मात्रा में राख हो जाने पर बाहर खुले जगह में डंप कराता था और उपर से पानी छिडकाव कराकर ठण्डा होने पर श्रमिको से मैन्युअल रूप से फावडा एवं बेलचा के माध्यम से उठवाता था।

जो काफी खतरनाक कार्य था, मालिक को मालूम था कि गरम राख को हटाते समय किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आ जाने से उसकी मृत्यु हो सकती है। उसके बाद भी गरम राख के भण्डारण स्थल पर सुरक्षा का कोई मजबूत घेरा नहीं लगवाया गया है। गरम राख के उपर कम मात्रा में पानी छिडकाव किया गया था और महिला श्रमिक कुन्ती नागेश को काम पर लगा दिया गया था। जो बेलचा और तगाडी के माध्यम से राख निकालने के लिये मौके पर दिनांक 02.12.19 को गई थी और पैर फिसलने से गरम राख में दोनो पैर चला गया था। तेज जलन होने पर बदहवास होकर बैठ गई जिसके कारण दोनो पैर व पीछे का भाग कमर से नीचे तक गरम राख में जल गया था।

जिसे उपचार हेतु अपेक्स अस्पताल रायगढ भेजा गया था। जिसकी ईलाज के दौरान दिनांक 24.12.19 को मृत्यु हो गई है। पूंजीपथरा पुलिस द्वारा औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संभाग रायगढ से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। घटना के संबंध में प्रबंधक निमीष गडोदिया, नवदुर्गा फ्युल सराईपाली के विरूद्ध अप.क्र. 46/2020 धारा 304 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

अज्ञात वाहन ने सायकल को मारी ठोकर सड़क दुर्घटना

न्याय साक्षी/रायगढ़। ग्राम सुर्री थाना पुसौर में रहने वाला चुड़ामणी पिता मानिक दास दिनांक 17.03.2020 के शाम करीब 19:00 बजे अपनी सायकल पर कोड़ातराई से ग्राम सुर्री जा रहा था जिसे सिंह पेट्रोल पंप के पास किसी अज्ञात वाहन ने एक्सीडेंट कर दिया। घटनास्थल पर चुड़ामणी फौत हो गया। घटना के संबंध में चौकी जुटमिल थाना कोतवाली में अज्ञात वाहन के चालक के विरूद्ध अप.क्र. 264/2020 धारा 304 ए भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

सट्टा पट्टी लिखते युवक पकड़ाया

न्याय साक्षी/रायगढ़। दिनांक 17.03.2020 को पुसौर पुलिस द्वारा ग्राम सूपा मुख्य मार्ग पर यात्री प्रतिक्षालय के बगल में पान ठेला के पास रामचरण बरेठ पिता त्रिलोचन बरेठ उम्र 54 वर्ष निवासी सूपा थाना पुसौर को सट्टा लिखते हुए मुखबिर सूचना पर पकड़े। आरोपी के पास से 1215 रूपये एवं सट्टा-पट्टी बरामद किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना पुसौर में 4(क) सार्वजनिक घ्रुत अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है।

18 वर्षीय युवती से छेड़खानी

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना सारंगढ़ में दिनांक 17.03.2020 को 18 वर्षीय युवती द्वारा लक्ष्मण यादव पिता मनहरण यादव के द्वारा घर घुस कर छेडछाड करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। पीडिता ने बताया कि दिनांक 17.03.2020 को सुबह करीब 10.30 बजे घर पर अकेली थी। तभी लक्ष्मण यादव पिता मनहरण यादव अकेली पाकर घर घुस गया और हाथ बांह को पकडकर अश्लील हरकत करने लगा चिल्लाई तो घर के लोग बाहर से आये। जिन्हें देखकर लक्ष्मण भाग गया। प्रार्थीया के रिपोर्ट पर थाना सारंगढ़ में अप.क्र.137/2020 धारा 354, 454 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

राज्य शासन के निर्देश, अति आवश्यक होने पर ही सार्वजनिक परिवहन साधनों का करें उपयोग

» संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु जारी निर्देशों का करें पालन

» इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने बस संचालकों को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

न्याय साक्षी/रायगढ़। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक परिवहन के साधनों के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जिसके अनुसार आम जनता से अपील की गई है कि अति आवश्यक कार्य होने पर ही सार्वजनिक परिवहन के साधनों का उपयोग करें। परिवहन साधनों के उपयोग के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु व्यक्तिगत सुरक्षा के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करें। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी सुमित अग्रवाल ने बताया कि समस्त बस संचालकों की बैठक ली गई है तथा उन्हें निर्देशित किया गया है कि जन-जागरूकता की दृष्टि से बसों में बेहतर साफ-सफाई रखे तथा परिवहन साधनों को डिसइन्फेक्ट तथा सेनेटाईज करें। जिससे संक्रमण रोका जा सके।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHH-